न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—00065 / 2020 / 225

1. छोटूनाथ पुत्र रतननाथ, जाति जोगी (नाथ) निवासी ग्राम जोगीयो का नाड़ा, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अरांई, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 20.11.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 83 / 2012.

उपस्थितः—

1. श्री रामदेव गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 23.11.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 20.11.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की आराजी ग्राम किशनगढ़ के पुराने खसरा नंबर 1445 वर्तमान खसरा नंबर 1971 रकबा 5 बीघा एवं खसरा संख्या 1972 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा में से 7 बीघा भूमि पर अपीलांट विगत 40—50 वर्षो से निर्बाध रूप से काबिज काश्त है । अपीलांट एक सद्भाविक कृषक व भूमिहीन होकर विवादित आराजी से अपने व अपने परिवार का भरण—पोषण करता आ रहा है । अपीलांट के लगातार कब्जे काश्त के कारण अपीलांट को भू—राजस्व अधि0 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया जिसका निर्णय रेस्पो0 द्वारा दिनांक 22.2.1985 को किया गया जिसमें अपीलांट के पक्ष में नियमन के आदेश पारित किये है किन्तु उक्त आदेश की पालना अधिकार अभिलेख में अंकन नहीं होने से वर्णित आराजियात बिलानाम रह गई जिसके आधार पर प्रतिवादी अपीलांट को विवादित आराजियात से बेदखल करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद प्रतिवादी / रेस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 20.11.2019 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांट विगत 40–50 वर्षो से विवादित भूमि पर काबिज काश्त रहकर अपने एवं परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है । अपीलांट भूमिहीन काश्तकार है । रेस्पो0 द्वारा प्रकरण संख्या 486/1994 सरकार बनाम छोटूनाथ में पारित आदेश दिनांक 22.2.1985 में अपीलांट के पक्ष में नियमन की आज्ञा पारित की थी जिससे अपीलांट के पक्ष में धारा 15 राज0काश्त0अधि0 के तहत खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है । संशोधित धारा 15–एएए में विधायिका द्वारा संशोधित किया गया है कि अजमेर जिले में काश्तकारों के रिकार्ड में हुई विसंगतियों को सुधारा जा सके इस कारण से अपीलांट के पक्ष में इंद्राज दुरूस्ती रिकार्ड अपीलांट के पक्ष में प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में से 7 बीघा भूमि की खातेदारी प्रदान कर अधिकार अभिलेख में दर्ज करवाने का अधिकारी है । रेस्पो0 अपीलांट को विवादित भूमि से बेदखल कर भूमि को अन्य संस्था के पक्ष में आवंटन/नियमन करने हेतु तत्पर है इसलिये रेस्पो0 को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करना न्यायोचित एवं उचित था । यदि वाद के विचाराधीन रहते अपीलांट को विवादित भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो अपूर्णीय क्षति अपीलांट को ही होती है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2019 की जानकारी अपीलांट को समय पर नहीं हो पाई क्योंक अपीलांट कमाने खाने बाहर जाता रहता है जिससे वह अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सका था । अपीलांट जब अपने गांव आया तथा प्रकरण के बारे में जानकारी करने हेतु दिनांक 17.2.2020 को अधी0न्याया0 में गया तो ज्ञात हुआ उसके प्रकरण में दिनांक 20.11.2019 को निर्णय हो चुका है तत्पश्चात् अपीलांट ने निर्णय की प्रति हेतु नकल आवेदन पत्र पेश किया तथा निर्णय की प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद बिना विलंब के यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है तथा अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है । यह भी कथन किया कि तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा अपीलांट के पक्ष में कोई नियमन आदेश जारी नहीं किया गया है न ही तहसीलदार को नियमन आदेश पारित करने का अधिकार ही है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । ।

7. हमनें विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि ग्राम किशनगढ़ के पुराने खसरा नंबर 1445 वर्तमान खसरा नंबर 1971 रकबा 5 बीघा एवं खसरा संख्या 1972 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा में से 7 बीघा भूमि पर अपीलांट विगत 40–50 वर्षो से निर्बाध रूप से काबिज काश्त है । अपीलांट के लगातार कब्जे काश्त के कारण अपीलांट को भू–राजस्व अधि0 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया जिसका निर्णय रेस्पो0 द्वारा दिनांक 22.2.1985 को किया गया जिसमें अपीलांट के पक्ष में नियमन के आदेश पारित किये है किन्तु उक्त आदेश की पालना अधिकार अभिलेख में अंकन नहीं होने से वर्णित आराजियात बिलानाम रह गई जिसके आधार पर प्रतिवादी अपीलांट को विवादित आराजियात से बेदखल करने पर आमादा है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है जिस पर अपीलांट ने पुराने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा का अनुतोष चाहा है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान नहीं है, द्वितीय अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 22.2.1985 के द्वारा विवादित भूमि अपीलांट के पक्ष में नियमन किये जाने बाबत् कथन किया है उस आदेश में केवल मात्र नियमन की सिफारिश की गई है न कि नियमन । वर्तमान में विवादित भूमि सिवायचक दर्ज है जिस पर अपीलांट का कब्जा एक अतिक्रमी की हैसियत से ही माना जावेगा तथा अतिक्रमी को किसी भी प्रकार हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2019 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर